न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुधाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख)के अंतर्गत

परमिशन वाद सं0 167 वर्ष 2024

आवेदक–राधु चरण महतो	केता–गोपाल महतो
ग्राम–मंजुरा टोला–सोखाडीह	ग्राम–मंजुरा टोला–सोखाडीह
थाना–कसमार जिला–बोकारो	थाना–कसमार जिला–बोकारो

आदेश की क्र0सं0 तारीख 01	आदेश एंव पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की कार्रवाई के बा टिप्पणी तारीख 03
30/11/24	(see below)	

आदेश

यह वाद आवेदक–राधु चरण महतो, पिता–स्व0 लखन महतो, ग्राम–मंजुरा टोला–सोखाडीह, थाना– कसमार ,जिला–बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नाकिंत जमीन, विवरणी निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिकी रकबा	भूमि दर्जा
मंजुरा	98	93	17	28 डी0	0.9⅓ डी0	टांड

को वो आवश्यक कार्य हेतु मो 4,70,000/–(चार लाख सतार हजार) रूपये में केता–गोपाल महतो पिता–स्व0 महेश्वर महतो ग्राम–मंजुरा टोला–सोखाडीह, थाना– कसमार ,जिला–बोकारो के साथ बिकी करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर कश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यलय के पत्रांक 977/रा0, दिनांक 05.09.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी कसमार से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गईं।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिकी अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी कसमार के पत्रांक–588, दिनांक–25.09.2024 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया हैं किः–

01. बिकेता एंव केता दोनों कुर्मी(महतो) जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अतंर्गत आते हैं। बिकेता एंव केता दोनों एंक ही थाना एंव जिला–बोकारो के निवासी हैं।
02. बिकी की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में मधु महतो वर्गै0 के नाम से दर्ज हैं तथा पंजी–II के P.161/4, में, मधु महतो वर्गै0 के नाम से जमाबंदी कायम हैं एंव लगान रसीद वर्ष–2024–25 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान हैं।
03. खतियानधारी रैयत से बिकेता का संबंध आजा–पोता का है। बिकी की जाने वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अतंर्गत आता है एंव बिकेता का दखल कब्जा में हैं।
04. प्रस्तावित भूमि भू–हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, गैरमजरूआ तथा अधिग्रहित क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिकेता को प्रस्तावित भूमि की बिकी करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिकेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया हैं कि आवेदनाकिंत जमीन सर्वे खतियान में मधु महतो वर्गै0 के नाम से दर्ज हैं तथा पंजी–II के P.161/4, में, मधु महतो वर्गै0 के नाम से जमाबंदी कायम हैं एंव लगान रसीद वर्ष–2024–25तक निर्गत हैं। बिकी वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

केता का कहना है कि उन्होने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई विवाद नहीं हैं, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करतें हैः–

01. बिकेता– खतियान की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की

छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एंव स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. केता– आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एंव स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनो पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एंव अंचल अधिकारी कसमार से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एंव केता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अतंर्गत आते हैं। बिक्रेता एंव केता दोनों एंक ही थाना एंव जिला का निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है, जो खतियान के आधार पर हासिल हैं जिसे वे आश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक– राधु चरण महतो, पिता–स्व0 लखन महतो, ग्राम–मंजुरा टोला–सोखाडीह, थाना– कसमार ,जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमिः–

मौजा	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द0 सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
मंजुरा 98	93	17	28 डी0	0.9⅓ डी0	हिस्सा गोबिन्द महतो	रास्ता	किनु महतो	रामु महतो
			कुल	0.9⅓डी0 (नौ पूर्णाक एक बटा तीन डिसमिल जमीन मात्र)				

मो0 4,70,000/–(चार लाख सतार हजार) रूपय या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनत्म भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से केता– गोपाल महतो पिता–स्व0 महेश्वर महतो ग्राम–मंजुरा टोला–सोखाडीह, थाना– कसमार ,जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एंव संशोधित।

30/11/2024

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

30/11/2024

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

c.c. [illegible]

Digitally signed by Mukesh Machhuwa
Date: 2025.09.02 16:02:27 +05:30
Location: 10.93.6.142